संख्या-532/2018/575/22-2-2018-17(132)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 28 जून, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममूर्ति पुत्र श्री रामभरोसे, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15023/प्रोबेशन-3/ (एम-06-04-2018) दिनांक-16-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 16-04-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राममूर्ति पुत्र श्री रामभरोसे, निवासी-फुकनापुर काजीपुर, थाना-बिसवां, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 16.05.2002 को समय लगभग 19:30 बजे 07 सअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके व चाकू से सोहनलाल व प्रमोद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-970/2003 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 323/149, 302/149 व 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट टैक कोर्ट संख्या-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 13.04.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.11.2017 तक 15 वर्ष 06 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 04 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **सीतापुर** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में 07 सअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके व चाकू से मारकर सोहनलाल एवं प्रमोद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 63 वर्ष 05 माह लगभग है। बन्दी के अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राममूर्ति पुत्र श्री रामभरोसे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राममूर्ति (बन्दी संख्या-41856) पुत्र श्री रामभरोसे, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-532/2018/575(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-532/2018/575/22-2-2018-17(132)/2018
दिनांक 28 जून, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राममूर्ति (बन्दी संख्या-41856) पुत्र श्री रामभरोसे, निवासी-फुकनापुर काजीपुर, थाना-बिसवां, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 16.05.2002 को समय लगभग 19:30 बजे 07 सअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके व चाकू से सोहनलाल व प्रमोद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-970/2003 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 323/149, 302/149 व 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट टैक कोर्ट संख्या-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 13.04.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.11.2017 तक 15 वर्ष 06 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 04 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **सीतापुर** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में 07 सअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके व चाकू से मारकर सोहनलाल एवं प्रमोद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 63 वर्ष 05 माह लगभग है। बन्दी के अशक्त न होने**,** जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता**,** जघन्यता**,** जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राममूर्ति पुत्र श्री रामभरोसे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in